हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

वीरवार, 29 अगस्त, 2019/7 भाद्रपद,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित); और

   (2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ।

(2) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2015-16, 2016-2017 एवं 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2017-18; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **57वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **58वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **59वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **60वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 174वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **61वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का **62वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का **63वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति का **64वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),**

समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2016-17) के ऑडिट पैरा संख्या: 3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि धर्म की स्वतन्त्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि पुन: अधिनियमित करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 13)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 34) का संशोधन करने और अधिनियम के अधीन 24 सितम्बर, 2011 को या इसके पश्चात् की गई कोई बात या कार्रवाई और जारी की गई अधिसूचनाओं आदि के विधिमान्यकरण के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 11)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: जी0 एस0 आर0 926(ई) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को विखण्डित करते हुए अधिसूचना संख्या: जी0एस0आर0 529(ई) तारीख 26 जुलाई, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया है, द्वारा विनिश्चित मामलों और इसके समक्ष लम्बित आवेदनों को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लम्बित आवेदनों का अन्तरण)विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 12)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री राम लाल ठाकुर,** दिनांक 20 अगस्त, 2019 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **' निगम के स्टोर से गेहूं लोड करता पकड़ा दुकानदार'** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री राकेश जम्वाल,** सुन्दरनगर में बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट से निकलने वाली सिल्ट से गांवों के लोगों की ज़मीन को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री**
श्री अर्जुन सिंह प्रस्ताव करेंगे कि:

" हाल ही में पुलिस भर्ती में पाए गए फर्जीवाड़े/ अनियमितताओं के कारण उत्पन्न स्थिति से **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

(4) **श्री नरेन्द्र बरागटा,** जिला शिमला के ठियोग की पराला सब्जी मण्डी एवं अन्य मण्डियों में सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर **कृषि मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 28 अगस्त, 2019 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

षष्टम् सत्र

वीरवार, दिनांक 29 अगस्त, 2019 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री सुख राम चौधरी:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हज़ारों हैक्टेयर खाली पड़ी वन भूमि पर योजनावार एक मुश्त पौधारोपण की नीति बनाने पर विचार करें ।"
2.	श्री नरेन्द्र बरागटा:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन नीति को और दिशा देने पर पुन: विचार करें ।"
3.	श्री राकेश सिंघा:	"The House recommends to the Centre Government to make appropriate provisions/amendments in the Forest Rights Act, 2005 in order to provide two and three biswas of land respectively in Urban and Rural Areas for shelter to homeless."
4.	श्रीमती आशा कुमारी:	"The building policy be framed for whole of H.P. including areas which are not covered under T.C.P. Act. Keeping in view fragile ecological status of the State specially for commercial buildings."
दिनांक 22 अगस्त, 2019 को चर्चा में लाए गए निम्न संकल्प पर आगे चर्चा होगी		
	श्री जीत राम कटवाल:	"This House may discuss the situation arising out of restrictions imposed on all construction works stopped due to FRA/FCA cases in the State ."

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

* * *

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जुमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 11) जोकि दिनांक 29 अगस्त, 2019 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	Shri Ram Lal Thakur	1	2	-	3	Amendment of section 6 **shall not be omitted.**
		1	3	(a)	3	Amendment of section 9 **shall not be inserted.**
		2	6	-	3	Amendment of section 27 **shall not be substituted.**
		2	7	(a)	3 &4	Amendment of section 33 **shall not be substituted.**

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 28 अगस्त, 2019 सचिव ।

****.